

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD
नई दिल्ली New Delhi

No. 2005/RS(G)/779/7

Dated: 6.11.2017

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS


Sub.: Non-Stock Certification of Demands/Indents.

Ref: Minutes of Review Meeting of Sr. DME/Coaching held in CRB's chamber on 23.10.2017

During above referred meeting, field units have represented that currently non-stock indents are required to be sent to the base stores depot for Non-Stock Certification, which consumes time.

In this connection, it is mentioned that consequent upon implementation of iMMS/IREPS, stock master can be checked/verified even at Divisional level. In fact, some of the Railways have already permitted Non-Stock Certification by Divisional Stores Officers. It has, therefore, been decided that Non-Stock Certification of Demands/Indents may also be done by the Divisional Stores Officers (i.e. Sr. DMMs/DMMs) on the same lines as is being done by the feeding stores depots on all Indian Railways.


This issues with the approval of DG/RS.


(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2005/RS(G)/779/7

Dated: 6.11.2017

1. PFAs, All Indian Railways & Production Units
2. The ADAI(Railways), New Delhi
3. The Directors of Audit, All Indian Railways


(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2005/RS(G)/779/7

Dated: 6.11.2017

1. PCMMs, PCEs, CMEs, CEEs, CSTEes, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors--

- a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 - c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - d. Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 - e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 - f. Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. MD, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi
 4. MD, RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurugram
 5. Director, Iron & Steel, 3, KoilaGhat Street, Kolkat
 6. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
 7. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
 8. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2005/RS(G)/779/7

Dated: 6.11.2017

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MoS(S), MoS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T), DG(Personnel), DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, PEDs & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2005/आरएस(जी)/779/7

नई दिल्ली, दिनांक 6-11-2017

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), कोर
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना,
कॉफमो/नई दिल्ली, आरसीएफ/आरबीएल/ एनडीएलएस

विषय: मांग/मांग-पत्रों का गैर-स्टॉक प्रमाणन

संदर्भ: 23.10.2017 को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के चैंबर में आयोजित वरिष्ठ डीएमई/कोचिंग की
समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उक्त संदर्भित समीक्षा बैठक के दौरान, फील्ड इकाइयों ने बताया कि वर्तमान में गैर-स्टॉक
मांग-पत्रों को गैर-स्टॉक प्रमाणन के लिए मूल स्टोर डिपो में भेजने की आवश्यकता होती है, जिसमें
अधिक समय लगता है।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि आईएमएमएस/आईआरईपीएस के कार्यान्वयन के
परिणामस्वरूप, स्टॉक मास्टर का मंडल स्तर पर भी जांच/सत्यापन किया जा सकता है। वास्तव में,
कुछ रेलों ने मंडल भंडार अधिकारियों को पहले से ही गैर-स्टॉक प्रमाणन की अनुमति दे दी है।
इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि इसी आधार पर मांग/ मांग-पत्रों का गैर-स्टॉक प्रमाणन भी
मंडल भंडार अधिकारियों (अर्थात् वरिष्ठ डीएमएम/ डीएमएम) द्वारा किया जाए, जैसा कि सभी
भारतीय रेलों पर फीडिंग डिपो द्वारा किया जा रहा है।

इसे महानिदेशक/रेल भंडार के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)-I

रेलवे बोर्ड

सं.2005/आरएस(जी)/779/7

नई दिल्ली, दिनांक 6-11-2017

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
2. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली.
3. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें.

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)-I

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पीसीएमएम, पीसीई, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला.
2. **निदेशक-**
 - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद
 - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
 - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
 - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), नेशनल अकादमी ऑफ इण्डियन रेलवे, वडोदरा
 - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
 - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
4. प्रबंध निदेशक, राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुरुग्राम
5. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
6. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ
7. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
8. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक, रेल भंडार(सा.)-I
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248 और एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, प्रोआ, कमरा नं. 256-डी, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन।

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक, रेल भंडार(सा.)-I
रेलवे बोर्ड